

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 24/2016

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का गजापुरा

बनाम

गैरसायल

श्री खंगार पुत्र श्री गजा

जाति कुम्हार निवासी वाडाभवजी


निर्णय

दिनांक:-13.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हेक्टर किस्म गै.मु नदी में अनाधिकृतरूप से बाड बनाकर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये,नहीं पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

(1) के तहत संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा,नंबर 5 रकबा 0.96 हेक्टर किस्म गै.मु. नदी अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 5.76 का 50 गुणा रू0 288/- अक्षरे दो सौ अटठासी रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का गजापुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार जसवंतपुरा
तहसीलदार (जसवंतपुरा)